सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
मेरठ।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 15.05.2024 जनपद न्यायालय मेरठ में रद्दी/बेकार कागजों की नीलामी हेतु नियत है। परन्तु आज दिनांक 15.05.2024 को श्री अचल नारायण सकलानी, सदस्य, नीलाम समिति अवकाश पर है और न ही कोई बोलीदाता उपस्थित है। जिसकारण उक्त प्रक्रिया आज सम्पादित करायी जानी सम्भव नहीं है।

अतः आज की नीलाम प्रक्रिया यही समाप्त की जाती है। रद्दी/बेकार कागजों की नीलामी हेतु दिनांक 15.07.2024 नियत की जा सकती है।

पत्रावली माननीय महोदय की सेवा में सादर अनुमोदनार्थ प्रेषित की जा रही है।

15/05/24

(ब्रजेश मणि त्रिपाठी)
सदस्य, नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–09, मेरठ

(चन्द्र प्रकाश तिवारी–प्रथम)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–01, मेरठ

15/5/24

नीलामी सूचना

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ ।

जनपद न्यायालय मेरठ के अभिलेखागार (सिविल) में रद्दी/बेकार कागजों की नीलामी दिनांक 15-07-2024 को सायं 04:00 बजे चौदह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में की जानी है। जिसकी बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा अंकन 5,000-00 रुपये रुपये प्रति बोलीदाता की दर से नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कि जनपद न्यायाधीश, मेरठ के पक्ष में देय हो को, धरोहर धनराशि कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास नगद जमा दिनांक 15.07.2024 को समय दोपहर 11:00 बजे तक करानी होगी । प्रथम 3 उच्च बोलीदाताओं को छोड़कर शेष की धरोहर धनराशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी । बोली की स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय जिला न्यायाधीश महोदय मेरठ का होगा । नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली छोड़ी जायेगी। उसे बकाया धनराशि अंदर तीन दिवस में नजारत अनुभाग में जमा करनी होगी। नीलामी की सभी शर्ते नजारत अनुभाग में कार्य दिवस में केन्द्रीय नाजिर के पास देखी जा सकती है ।

(ब्रजेश मणि त्रिपाठी)
सदस्य, नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–09, मेरठ

(चन्द्र प्रकाश तिवारी–प्रथम)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–01, मेरठ

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।</u>

1. नोटिस बोर्ड जनपद न्यायाधीश, मेरठ
2. नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, मेरठ
3. नोटिस बोर्ड आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ
4. नोटिस बोर्ड मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ
5. कम्प्यूटर विभाग को माननीय उच्च न्यायालय के बेवसाईड व जनपद न्यायालय मेरठ की बेवसाईड पर अपलोड करने हेतू
6. समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशन हेतु